

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग)

सर्वोच्च वनाम अमरपट्ट

किस्म मुकदमा... डीवा... मिसल नंबर... 45812

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय

तारीख हुकम

नेबर व तारीख अहकाम  
जो इस हुकम की तारीख  
में जारी हुये।

11/2/25

पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... 12/2/25... को पेश हो।

17/2/25

पत्रावली आज पत्र डूरे, बहुलाय फ्रीकेन उपेण  
वहील वही वी न आपत्ति छा.पग का पत्राव  
पत्र छिया, प्र.पग ही कावत बहन हुनी-  
गहि, छापी न छा.पग में निवेदन किया कि-  
परवारी हल्का डाटा विभाजन पुस्तक तैयार  
कट काउण्टर हस्तासट रहसीलडाट सीकरी  
के करार है इण विभाजन पुस्तक पुस्तक किये  
गये हैं परवारी हल्का डाटा मोंडे पर कौरे  
मोंडा रिपोर्ट भी तैयार नहीं की गई एवं-  
मनमप्री से विभाजन पुस्तक तैयार किये गये  
हैं जिन पर परिवारीगण के बट पहुंचकट-  
हस्तासट करारिये गये हैं अतः विभाजन पुस्तक  
खीकाट योग्य नहीं है अतः पुनः विभाजन पुस्तक  
मंगाये जावे। जवाब में वहील वारी (अग्रपी)ने  
कि कथन किया कि रहसीलडाट सीकरी डाटा जो  
पुस्तक तैयार किये गये हैं वो बारीगण एवं परि-  
वारीगण के कब्जे के अउसाट पत्र किये गये हैं  
जिन पर उभय पक्ष के हस्तासट हैं।  
उभय पक्ष के अभिभाषको की बहस पर  
मनन किया गया, पत्रावली एवं विभाजन पुस्तक  
का अनलोडन किया गया, पाया कि विभाजन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग)

सर्वीट बनाम शमराज वरुण

किस्म मुकदमा..... इलाहाबाद..... मिसल नंबर..... 468/22.....

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय

नंबर व तारीख अ  
जो इस हुकम की  
में जारी हुये

पक्षावे पट वहीगण एवं प्रति सं. १, ३, ४, ६  
 हस्ताक्षर हैं जिससे जासिद हैं कि उहकीलाटा  
 सीकरी डाटा विभाजन पक्षाव मोने पट उपक्षित  
 बोकट बनाये गये हैं अतः प्रार्थी (प्रतिवारी)  
 की आपत्ति खारिज की जाती है।  
 उभय पक्ष के अधिभाषको की वरत बोल  
 वा पत्र सुनी गई, उभय पक्ष के अधिभाषको  
 की वरत पर मनन ठिया गया व पत्रावली  
 का अवलोकन ठिया गया अतः इला वारीगण  
 मुलाधिक विभाजन पक्षाव ठिकी ठिया  
 जाता है, विस्तृत विणिय प्रथक से लिखाया  
 जाकट शामिल पत्रावली ठिया गया व  
 खुले न्यायालय मे सुनाया गया, प्रकटण  
 मे विभाजन पक्षाव अनुमाट अलग-2  
 खाता व अलग-अलग लगान कायम की  
 जावे। पत्रावली के लेल शुमाट बोकट  
 शामिल उरत बोकट है।

उपखण्ड अधिकारी  
 सीकरी (डीग) राजी